

युवा व्यक्ति
को औद्योगिक संस्थान में
रोजगार देने के नियमों की
संक्षिप्त मार्ग दर्शक पुस्तिका



श्रमिक जांच शाखा
श्रम विभाग हाँगकाँग

विषय सारिणी

भूमिका	1
युवा व्यक्ति की परिभाषा	1
लागू होना	1
रोजगार के कार्यकाल, काम करने के घण्टे और कार्य दिवस पर कानूनी पाबंदी	2
अतिरिक्त समय पर काम करना	2
काम करने के घण्टों, भोजन के लिए या विश्राम के लिए अंतराल और विश्राम दिवस को निर्धारित करने का सूचना पत्र	2
रोजगार की अवधि और विश्राम काल	3
विश्राम दिवस	3
युवा व्यक्ति का रजिस्टर	3
विशेष अनुमति और छूट	4
भूमिगत कार्य	4
हानिकारक व्यापार	4
अतिरिक्त भार उठाना	4
बैठने की सुविधाएं	5
श्रम निरीक्षक के अधिकार या शक्तियां	5
उल्लंघन और सजा	5
अन्य रोजगार संरक्षण	5
पूछ ताछ और शिकायत	6

भूमिका :

युवा व्यक्ति (उद्योग) के रोजगार संस्थान में नियम, रोजगार कानून (पाठ 57) के अन्तर्गत, काम करने के घण्टों और उद्योग संस्थान में युवा व्यक्तियों को रोजगार पर रखने की साधारण शर्तों को नियमित करने के लिए बनाए गए हैं ।

यह मार्ग दर्शक पुस्तिका, नियमों के मुख्य प्रावधानों की रूप रेखा सरलता से बताती है, ताकि रोजगार देने वाले मालिकों को उनके कानूनी दायित्वों को समझने में मदद दे सकें और युवा व्यक्तियों को उद्योग में, रोजगार के साधारण हालातों के साथ जुड़े हुए, अपने कानूनी अधिकारों को जानने में मदद मिल सके । यह नोट किया जाना चाहिए कि कानून और नियम, प्रावधानों की व्याख्या के लिए अकेले ही अधिकृत हैं ।

युवा व्यक्ति की परिभाषा :

रोजगार कानून में युवा व्यक्ति की परिभाषा एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर दी गई है जिसकी आयु 15 साल की हो चुकी है परन्तु 18 साल से कम है ।

लागू होना :

युवा व्यक्ति को रोजगार पर रखने के नियम, सभी औद्योगिक संस्थानों पर लागू होते हैं, निम्नलिखित अपवादों के साथ :-

- क) गैर औद्योगिक क्षेत्रों में ;
- ख) किसी भी औद्योगिक संस्था में जो लिपिकीय या प्रबन्धन क्षमता में है या स्वास्थ्य या कल्याण सेवा उस संस्था के साथ जुड़ी हुई हो ;
- ग) किसी औद्योगिक संस्था की सफाई के साथ जुड़ी हो, निर्माण कार्य में इस्तेमाल की जाने वाली मशीनों और यन्त्रों की सफाई को छोड़ कर ;
- घ) पूर्ण रूप से किसी औद्योगिक संस्थान की देख रेख के साथ जुड़ी हुई हो ;
- ङ) खाना बनाने और बेचने के लिए प्रयुक्त परिसर जहां पर खाना बनाया जाता हो ;

रोजगार के कार्यकाल, काम करने के घण्टे और कार्य दिवस पर कानूनी पाबंदी :

प्रतिदिन में अधिकतम रोजगार का कार्यकाल	10 घण्टे (सुबह 7 से शाम 7 के दौरान)
प्रतिदिन दिन काम करने के अधिकतम घण्टे	8 घण्टे
हफ्ते में काम करने के अधिकतम घण्टे	48 घण्टे
हफ्ते में काम करने के अधिकतम दिन	6 दिन
लगातार काम करने का अधिकतम समय	5 घण्टे जिसके बाद कम से कम आधे घण्टे का भोजन या विश्राम का अन्तराल हो

नोट :

रोजगार के कार्य काल का तात्पर्य उस कार्यकाल से है जिसमें भोजन और विश्राम के लिए दिया गया समय भी शामिल है, जिसमें कोई भी व्यक्ति उस दिन रोजगार पर रखा जा रहा है।

काम करने के घण्टों का मतलब वह समय जिसके दौरान रोजगार पर रखा गया व्यक्ति मालिक के अधीन है, जिस में खाने या विश्राम का अन्तराल शामिल नहीं है।

‘हफ्ता’ मतलब, शनिवार आधी रात से लेकर अगले शनिवार की आधी रात तक का समय ।

रोजगार देने वाले और नौकरी पर रखे जाने वाले युवा व्यक्ति के बीच समझौते द्वारा, युवा व्यक्ति के काम करने के घण्टे एक दिन में 8 घण्टे से ज्यादा हो सकते हैं या एक हफ्ते में 48 घण्टे से ज्यादा हो सकते हैं बशर्ते कि युवा व्यक्ति द्वारा काम करने के कुल घण्टे दो लगातार हफ्तों में 96 घण्टे से ज्यादा न हो । जब कि एक दिन में अधिकतम कार्यकाल 10 घण्टे ही रहेगा ।

अतिरिक्त समय पर काम करना :

कोई भी काम देने वाला मालिक किसी भी युवा व्यक्ति को, चाहे वो जिस भी उम्र का हो, उस को अतिरिक्त समय के लिए, औद्योगिक संस्थान में काम पर नहीं रखेगा ।

काम करने के घण्टों, भोजन के लिए या विश्राम के लिए अंतराल और विश्राम

के दिनों को निर्धारित करने का सूचना पत्र :

युवा व्यक्तियों को काम पर रखने के नियमों के अर्न्तगत, अनुमेय काम करने के घण्टे, भोजन या आराम के अन्तराल और औद्योगिक संस्थानों में काम पर रखे जाने वाले युवाओं के विश्राम

दिवस का प्रबन्ध मालिको द्वारा किया जाना चाहिए और काम करने के घण्टो के सूचना पत्र (फार्म LD334) में लिखा जाना चाहिए । सूचना पत्र पर मालिक या उसके मान्यता प्राप्त प्रतिनिधि के हस्ताक्षर होने चाहिए और श्रम विभाग के श्रम निरीक्षक द्वारा इस की गवाही दी जानी चाहिए और इस औद्योगिक संस्थान में स्पष्ट रूप से चिपकाया जाना चाहिए ।

रोजगार की अवधि और विश्राम के अन्तराल :

रोजगार का निर्धारित समय और आराम के अन्तराल, औद्योगिक संस्था में काम पर रखे गए सभी युवा व्यक्तियों के लिए एक समान होने चाहिए, श्रम आयुक्त की लिखित अनुमति लिए जाने को छोड़ कर ।

रोजगार के कार्यकाल या भोजन और आराम के अन्तरालो में किसी तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा जब तक कि प्रस्तावित बदलाव को अमल में लाने से 48 घण्टे पहले आयुक्त को पहले से इस की लिखित रूप में सूचना न दी गई हो और काम काज के तय किए गए घण्टो का सूचना पत्र पूरी तरह लिखा न गया हो और चिपकाया न गया हो । ऐसा बदलाव तीन महीनो में एक बार से ज्यादा बार नहीं किया जाएगा जब तक कि इस को लिखित में कमिशनर ने मंजूर न किया हो ।

नोटिस मे बताए गए भोजन के अन्तराल और आराम के अन्तराल के दौरान युवा व्यक्तियों को औद्योगिक संस्था में काम पर नहीं रखा जाएगा ।

विश्राम दिवस :

औद्योगिक संस्था में काम पर रखे गए युवा व्यक्तियों को हफ्ते में एक दिन आराम के लिए दिया जाएगा । अगर आराम के दिन हर युवा व्यक्ति के लिए अलग है तो इन आराम के दिनों के बारे में स्पष्ट रूप से 'युवा व्यक्तियों के रजिस्टर में लिखा जाना चाहिए । आराम के दिन काम करने पर कड़ी पाबन्दी लगाई गई है ।

आराम के दिन में कोई भी बदलाव नहीं लाया जाना चाहिए जब तक कि इस प्रस्तावित बदलाव को करने के 48 घण्टे पहले श्रम आयुक्त को 'आराम के दिन में बदलाव का सूचना पत्र' न दिया गया हो ।

युवा व्यक्तियों का रजिस्टर :

औद्योगिक संस्थाओ में काम पर रखे गए सभी युवा व्यक्तियों का रजिस्टर (फार्म LD338) जरूर बनाना चाहिए और श्रम निरीक्षक के मांगने पर उसको निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराना चाहिए। यह फार्म जिल्द में रखने चाहिए (फार्म LD 338A)

जब कि यदि, औद्योगिक संस्था में काम पर रखे गए सभी व्यक्तियों के लिए एक समान

कार्यकाल है तो उन के मालिकों को रजिस्टर रखने की छूट दी जाती है ।

विशेष अनुमति और छूट :

रोजगार कानून के अर्न्तगत श्रम आयुक्त के पास यह अधिकार है कि वह ठीक समझे तो कभी भी औद्योगिक संस्था में काम करने वाले युवा व्यक्तियों को कुछ विशेष अनुमति दे सकता है या कुछ शर्तों से छूट दे सकता है ।

जैसे कि जब कोई काम पर रखने वाला मालिक किसी 16 साल की उम्र के युवा व्यक्ति को, रात 11 बजे के दौरान किसी शिफ्ट काम की स्कीम के अर्न्तगत काम पर रखता है तो, एक उचित कमरा जिसमें कोई भी औद्योगिक कार्य नहीं किया जा रहा और इसको आयुक्त द्वारा लिखित रूप में मंजूरी दी गई हो, ऐसा कमरा युवा व्यक्तियों को उनके इस्तेमाल के लिए खाना खाने या आराम करने के उद्देश्य से उपलब्ध कराया जाना चाहिए ।

भूमिगत कार्य :

किसी भी युवा व्यक्ति को किसी भी खान में, या किसी सुरंग खोदने के कार्य में शामिल औद्योगिक संस्था में भूमि के नीचे काम करने के लिए नहीं रखा जाएगा ।

हानिकारक व्यापार :

किसी भी युवा व्यक्ति को किसी हानिकारक व्यापार में काम पर नहीं रखा जाएगा । हानिकारक व्यापार को कारखानों और औद्योगिक संस्था कानून के अर्न्तगत (पाठ 59) में परिभाषित किया गया है उसमें बायलर चिपिंग, कच्चे माल से शीशे का उत्पादन, ऐसे उत्पादन जिनमें आर्सेनिक, लैड, मैंगनीज, पारा और फासफोरस वरमिलियन, क्रोमियम टलेटिंग, सैलुलोइड या मैंगनीशियम को पीसने या उस का मशीनीकरण और हाइड्रोक्लोरिक, निट्रिक या सल्फ्यूरिक तेजाब आदि का उत्पादन ।

अतिरिक्त भार उठाना :

किसी भी औद्योगिक संस्था में युवा व्यक्तियों की उम्र और शारीरिक उन्नति को ध्यान में रखते हुए उन को अनुचित तौर पर ज्यादा भार उठाने की अनुमति नहीं दी जाएगी । 16 साल से कम उम्र के युवा व्यक्तियों को 18 किलो से ज्यादा भार उठाने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

बैठने की सुविधाएं :

सभी युवा व्यक्तियों जिनका काम खड़े हो कर करने वाला है, उनके लिए बैठने की उचित व्यवस्था करानी चाहिए ताकि उनको जब भी काम के दौरान आराम का मौका मिले वह उसका फायदा उठा सके ।

श्रम निरीक्षक के अधिकार या शक्तियां :

रोजगार कानून की धारा 72(1) के अन्तर्गत श्रम निरीक्षक को ये अधिकार दिए गए हैं कि वह उचित समय, दिन और रात को औद्योगिक संस्था में निरीक्षण के लिए जाए और यह सुनिश्चित करें कि युवा व्यक्तियों के काम के घण्टे, भोजन या आराम के अन्तराल, आराम के दिन आदि की सुविधा, युवा व्यक्तियों को काम पर रखने के कानून के अनुसार ही दी जा रही है । रोजगार कानून की धारा 72(1)(b) और (c) के अनुसार उनको अधिकार दिया गया है कि वह समय समय पर जब भी जरूरत पड़े, निरीक्षण या पूछ ताछ कर सकता है ता कि वो यह पता कर सके कि कानून के नियमों का पालन किया गया है और नियमों से सम्बन्धित किसी भी दस्तावेज को दिखाने के लिए कह सकता है और कोई भी ऐसी वस्तु जब्त कर सकता है जो नियमों के उल्लंघन का सबूत नजर आती है । कोई भी व्यक्ति जो, रोजगार कानून की धारा 72(1)(a), (b) या (c) की शर्तों को पूरा करने में असफल रहता है, वह उल्लंघन कर रहा है और उसको अधिकतम 100,000 हाँगाकाँग डालर का जुर्माना या एक साल की कैद हो सकती है ।

उल्लंघन और सजा :

कोई भी व्यक्ति जो युवा व्यक्तियों को काम पर रखने के कानून का दोषी पाया जाएगा उस पर 10,000 से 50,000 हाँगाकाँग डालर तक जुर्माना हो सकता है ।

अन्य रोजगार संरक्षण :

रोजगार कानून के प्रावधान जहा भी उचित हो युवा व्यक्तियों को उद्योग में काम पर रखने पर भी लागू होते हैं ।

पूछ ताछ और शिकायत :

बच्चों को काम पर रखने के नियमों के बारे में पूछ ताछ के लिए आप पूछ ताछ हॉट लाईन के नम्बर 2717 1771 पर सम्पर्क कर सकते है (हॉट लाईन '1823 सिटीजनस ईजी लिंक' द्वारा चलाई जाती है) या आप श्रम विभाग की वैब साईट www.labour.gov.hk पर सम्पर्क कर सकते है ।

शिकायत के लिए 24 घण्टे की शिकायत हाट लाईन के नम्बर 2815 2200 पर सम्पर्क किया जा सकता है या श्रम .विभाग की निरीक्षण शाखा के मुख्य दफ्तर 17/एफ हारबर बिल्डिंग 38 पीयर रोड सैट्रल हाँगकाँग पर सम्पर्क कर सकते है । सभी शिकायतों पर गोपनीय रूप से कार्यवाही होगी ।